

न्यायलाय उपखण्ड अधिकारी बावडी, जिला-जोधपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती सुमित्रा पारीक (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना संख्या:- 39/2022

प्रार्थीगण:-

1. मोहनराम पुत्र श्री चैनाराम
2. कंवराराम पुत्र श्री सोनाराम
3. झुमरराम पुत्र श्री गोबरराम
4. रेवतराम पुत्र श्री सोनाराम
5. सुगना पत्नी श्री सोनाराम
6. हेमाराम पुत्र श्री सोनाराम
7. हीराराम पुत्र श्री सोनाराम
8. बालूराम पुत्र श्री गोबरराम
9. नाथूराम पुत्र श्री हरिराम
10. मिसाराम पुत्र श्री हरिराम
11. श्रीराम पुत्र श्री हरिराम
12. सुवा पत्नी श्री हरिराम-(फौत)
13. अणदाराम पुत्र श्री खेताराम
14. उदाराम पुत्र श्री खेताराम
15. ढगलाराम पुत्र श्री खेताराम
16. सुवादेवी पत्नी खेताराम

जातियान् मेघवाल निवासीगण नेतड़ा तहसील बावडी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 131, 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित:-

1. श्री सोहनलाल चौधरी प्रार्थीगण अधिवक्ता ।
2. अप्रार्थी श्री भूमिधारी तहसीलदार बावडी ।

निर्णय :-


दिनांक:- 15/03/2022

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। कि ग्राम नेतड़ा , तहसील बावडी की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा नेतड़ा के खसरा संख्या क्रमशः. 75, 75/1, 75/3



उपखण्ड अधिकारी
बावडी जिला-जोधपुर

75/6 75/2, 75/7, 75/4, 75/5 की भूमि आयी हुई है। जिसकी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मौके पर कब्जा काशत अनुसार तरमीम नहीं होकर गलत दर्ज है। जिसको दुरस्त किया जावे। अप्रार्थी तहसीलदार बावड़ी से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार बावड़ी ने प्रार्थीणों की तरमीम वर्तमान नक्शे में गलत होना स्वीकार किया। तथा फर्द नजरीया नक्शा प्रस्तुत कर नजरीये नक्शे तरमीम दुरस्त की अनुशंषा की गयी। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। एवं तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त रिपोर्ट एवं फर्द नजरीये नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड के ऑनलाईन नक्शे में तरमीम दुरस्ती के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत नजरीये नक्शे फर्द को इस निर्णय का अंग शुमार समझा जावे। निर्णय आज न्यायालय में मजमे-आम सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


(सुमित्रा शारीकरी)
उपखण्ड अधिकारी-बावड़ी